भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2821

(15.12.2021 को उत्तर के लिए)

प्रशासनिक व्यवस्था

2821. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने पर विचार कर रही है अथवा सुधार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क)और(ख): मौजूदा प्रशासन प्रणाली में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। सरकार "न्यूनतम सरकार - अधिकतम शासन" सिद्धांत का पालन करती है। सरकार समय-समय पर अधिक दक्षता, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जवाबदेही और निर्णय लेने की गुंजाइश को कम करने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासनिक सुधार लाती है। कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

(i) **"मिशन कर्मयोगी" का शुभारंभ** - सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय (एनपीसीएससीबी) का शुभारंभ, सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक नई राष्ट्रीय संरचना शुरू की गई है। यह सक्षम सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र का व्यापक सुधार है;

(ii) **ई-समीक्षा-** महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों / परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में शीर्ष स्तर पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक रियल टाइम ऑनलाइन प्रणाली;

(iii) **ई- ऑफिस** मंत्रालयों/विभागों को कागज रहित कार्यालय में बदलने और निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए ई-ऑफिस मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) को सुदृढ़ किया गया है;

(iv) **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)** सीपीजीआरएएमएस सरकार में लोक शिकायतों के निवारण की एक प्रणाली है, जिसमें निरंतर सुधार किया जाता है;

(v) **केंद्रीय सचिवालय में निर्णयन क्षमता में वृद्धि** केंद्रीय सचिवालय में निर्णय लेने के चैनल को घटाकर 4 करना, ई-ऑफिस संस्करण 7.0 को अपनाना, केंद्रीय पंजीकरण इकाइयों का डिजिटलीकरण, केंद्रीय

जारी....2/

सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका 2019 के तहत वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के वृहत्तर प्रत्यायोजन द्वारा निर्णयन क्षमता में वृद्धि और डेस्क अधिकारी प्रणाली को अपनाना।

(vi) नियुक्तियों के लिए **दस्तावेजों का स्व-प्रमाणन-** जून, 2016 से, भर्ती एजेंसियां उम्मीदवारों द्वारा स्व-प्रमाणित दस्तावेजों को जमा करने के आधार पर अनंतिम नियुक्ति पत्र जारी करती हैं;

(vii) **कनिष्ठ स्तर के पदों की भर्ती में साक्षात्कार की समाप्ति-** जनवरी, 2016 से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में कदाचार को रोकने और चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता लाने के लिए विभागों/संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह 'ग', समूह 'ख' (अराजपत्रित पदों) और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है;

(viii) **नागरिक चार्टर-** सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए नागरिक चार्टर को अनिवार्य कर दिया है जिन्हें नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है और उनकी समीक्षा की जाती है। केंद्र सरकार के विभागों के नागरिक चार्टर मंत्रालयों/विभागों की संबंधित वेबसाइटों और https://goicharters.nic.in/public/website/home पर उपलब्ध हैं;

(ix) ऑनलाइन मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उपयोग;

(x) **सुशासन सूचकांक 2019** का शुभारंभ किया गया, जो शासन की स्थिति और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यों के प्रभाव का आकलन करता है।

(xi) ई-गवर्नेंस को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए, आधार और सहायक अवसंरचना विकसित करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल और परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(xii) **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन** - सरकार को ई-गवर्नेंस पहलों से संबंधित अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है;

****